



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी 4019-II-14

रामबाबू पिता श्री किशनलाल जी बियाणी,  
धंधा व्यापार, आयु 55 वर्ष, निवासी 20, गीता कॉलोनी,  
उज्जैन --- आवेदक

विरुद्ध

1. महेश पारमार्थिक न्यास,  
द्वारा अध्यक्ष कैलाशचन्द्र माहेश्वरी, छोटा सराफा उज्जैन
2. आनंद पिता स्व. श्री कृष्णकांत जी बागड़, धंधा व्यापार,  
आयु 47 वर्ष, निवासी कोठी राड़, उज्जैन

3. श्री गणेश नारायण पिता श्री सीतारामजी बजाज, आयु 55  
वर्ष, धंधा व्यापार, निवासी गीता कॉलोनी, उज्जैन

4. कन्हैयालाल पिता मूलचंद जी भूतड़ा, द्वारा वारिसान.

(1) श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी कन्हैयालालजी,  
धंधा गृहकार्य, आयु 45 वर्ष

(2) राजेन्द्र पिता कन्हैयालाल भूतड़ा,

आयु 38 वर्ष, धंधा व्यापार.

निवासीगण 118, नजरअली मार्ग, उज्जैन

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा अपील क्रमांक

412/अपील /2011-12 में पारित ओदश दिनांक 11.09.2014 से

असंतुष्ट एवं दुखी होकर

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है -

:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::

- 1- यह कि, आवेदक रामबाबू तथा अनावेदक क्रं. 2 लगायत 4 के द्वारा एक कृषि भूमि संयुक्त रूप से कय की थी तथा आवेदक तथा अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 के द्वारा सामाजिक

R 4019-II/14

- 2 -

खिला 355

25-10-10  
उत्तर

आवेदन आगरे की विधान  
सभा का एक प्रस्ताव को नोटिस  
के सम्बन्ध में आगे का निर्णय  
किया गया। आवेदन आगरे की  
निर्देश पर प्रस्ताव नोटिस के  
इसी क्रम में सभा में किया जा रहा  
प्रस्ताव का निष्पत्ति है।

प्र-सिद्ध

25-10-10  
आगरे की विधान  
सभा  
Not Printed  
V. D. M. A. S.  
25-10-10

3